जारी / श्री राजेन्द्र 20.03.23

संख्या–पी-38/81-2-2023-800(14)/2023

जारी 20.03.23

प्रेषक,

नीता चौधरी,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2023

विषय- जनपद सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पटटे पर दी गयी 6.394 हे0 आरक्षित वनभूमि की लीज को पुनः 25 वर्षो हेतु दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2047 तक नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/ट्रांस/140402/2021)

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2272/11-सी-एफपी/यूपी/ट्रांस/140402/2021 दिनांक 09.01.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त निम्न कमियां पायी गई है :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-2 पर रक्षित गैर वनभूमि का स्वामित्व किसका है ?
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-23 पर रक्षित मक डिस्पोजल योजना अनुमन्य न होने कारण जबकि अलग-अलग अवधि में दिया गया है ? स्पष्ट किया जाय।
3. प्रस्तावित परियोजना में समतुल्य गैर वनभूमि लिये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/बचनबद्धता संलग्न नहीं है। क्या समतुल्य गैर वनभूमि नहीं लिया जायेगा है। कारण बतायें ?
4. विषयगत प्रकरण फ्रेस लीज जैसा व्यवहृत किया जाना है ?
5. वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्राविधानों के अनुसार प्रस्ताव की पूर्णतः की जांच हेतु पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3261/81-2-2022-600(60)/2000 दिनांक 10.01.2023 द्वारा गठित समिति राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमेटी (PSC) के अनुमोदनोंपरान्त उपलब्ध कराया जाय।
6. प्रस्ताव के पृष्ठ-22 पर रक्षित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रमाणित नही है ?
7. प्रस्ताव में परियोजना की श्रेणी पारेषण लाईन तो है, परन्तु किस सीमा तक लीनियर माना जाय ? स्पष्ट किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15/3/2023

भवदीय,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।